[31/7/2025]

प्रश्न सं. [क्र. 1451]

00 कार्यालय नगरपालिका परिषद छिन्दवाड़ा 00

परिशिष्ट – छ

(नियम 27)

भवन निर्माण के विकास/भवन की अनुज्ञा की स्वीकृति करने की अभिस्वीकृति

प्रति,

महाप्रबंधक,

म0प्र0 सड़क परिवहन निगम

भोपाल

महोदय,

छिन्दवाड़ा के नजूल शीट नं0 55,56 के प्लाट क्र0 9 में स्थित बस स्टैण्ड एवं बस डिपो परिसर में व्यवयायिक भवन के विकास निर्माण हेतु परिशिष्ट की स्वीकृति के लिये आपसे निवेदन क्र0 65 दिनांक 15/3/04 के संदर्भ में आपको निम्नलिखित आधार पर स्वीकृति दी गई है।

निम्नलिखित निबन्धो तथा शर्तो के अध्ययीन रहते हुये स्वीकृति दी गई है।

1- आवेदक स्वयं की भूमि जिसका उसे भू-स्वामित्व प्राप्त है उक्त भूमि पर में ही निर्माण कार्य करेगा।
2- आवेदक शासकीय/अशासकीय भूमि पर अतिक्रमण नही करेगा।
3- आवेदक निर्माण कार्य संबंधी सामग्री आम रास्ते पर नही डालेगा।
4- आवेदक भूमि विकास अधिनियम 1984 की शर्तो का पालन करेगा।
5- आवेदक को नगर तथा ग्राम निवेक्श द्वारा दी गई स्वीकृति के शर्तो का पूर्णत: पालन करना होगा।
6- पहुंच मार्ग एवं अन्दर के खुले स्थानों को 18 टी वजनी फायर फायइटर इंजिन को वहन करने योग्य मजबूत सरफेस का यनाना होगा।
7- स्ट्रक्चरल डिजाइन एवं मटेरियल की क्वालिटी भूमि विकास नियम 1984 के नियम 84 एवं 85 के अनुसार होगी।
8- नि:शक्तजनो के लिये रैम्प का निर्माण करना होगा।
9- आवेदक को सुलभ शौचालय बनाकर उसका रखरखाव स्वयं करना होगा।
10- आवेदक को जल मल निकासी, विद्युत एवं काम्पलेक्स के जलप्रदाय की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।
11- आवेदक द्वारा संशोधित स्वीकृत मानचित्र अनुसार ही कार्य करना होगा।
12- आवेदक वृक्षारोपण की दृष्टि से कम से कम 20 वृक्ष स्वयं की हद में लगायेगा।
13- अनुज्ञा जारी दिनांक से 3 वर्ष तक विधि मान्य होगी।
14- आवेदक ऐसा कोई निर्माण कार्य करेगा, जिससे मोहल्ले वालो को आपत्ति न हो।
15- आवेदक को छत के बरसाती पानी के भमिगत संरक्षण का प्रावधान करना अनिवार्य होगा।
16- आवेदक को भूकम्प रोधी तथा अग्निरोधी निर्माण कार्य निर्धारित मापदण्ड अनुसार करना अनिवार्य होगा।
17- भवन पूर्ण प्रमाण एवं उपयोग अनुज्ञा उपयोग के पूर्व अनुमति लेवे। (नपा0 अधि0 1961 की धारा 191)
18- नगर तथा ग्राम निवेश की शर्त क्र0 5 एवं 6 का अक्षरश: पालन करना होगा।
19- म0प्र0विद्युत मण्डल से आवश्यक स्वीकृति ली जानी आवश्यक होगी।
20- आवेदक द्वारा उपरोक्त किसी भी शर्तो का उल्लंघर करने पर स्वीकृत स्वत: निरस्त मानी जावेगी तथा भूमि विवाद की स्थिति में आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा।

क्रमांक ....15..........

दिनांक 19.5.04

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद
छिंदवाड़ा

18Jan(404)

अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग

Scanned with OKEN Scanner

पृ.क्रमांक ....15........./न.पा.प./

छिन्दवाड़ा, दिनांक 19/5/09

<u>प्रतिलिपि</u> –

1. आयुक्त–सह संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश म.प्र. भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित। द्वारा सहायक संचालक नगरग्रामीण छिंदवाड़ा

2. कलेक्टर महोदय, जिला छिन्दवाड़ा की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।

3. नजूल अधिकारी, नूजल विभाग, छिन्दवाड़ा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद
छिंदवाड़ा

18Jan(413)

Scanned with OKEN Scanner

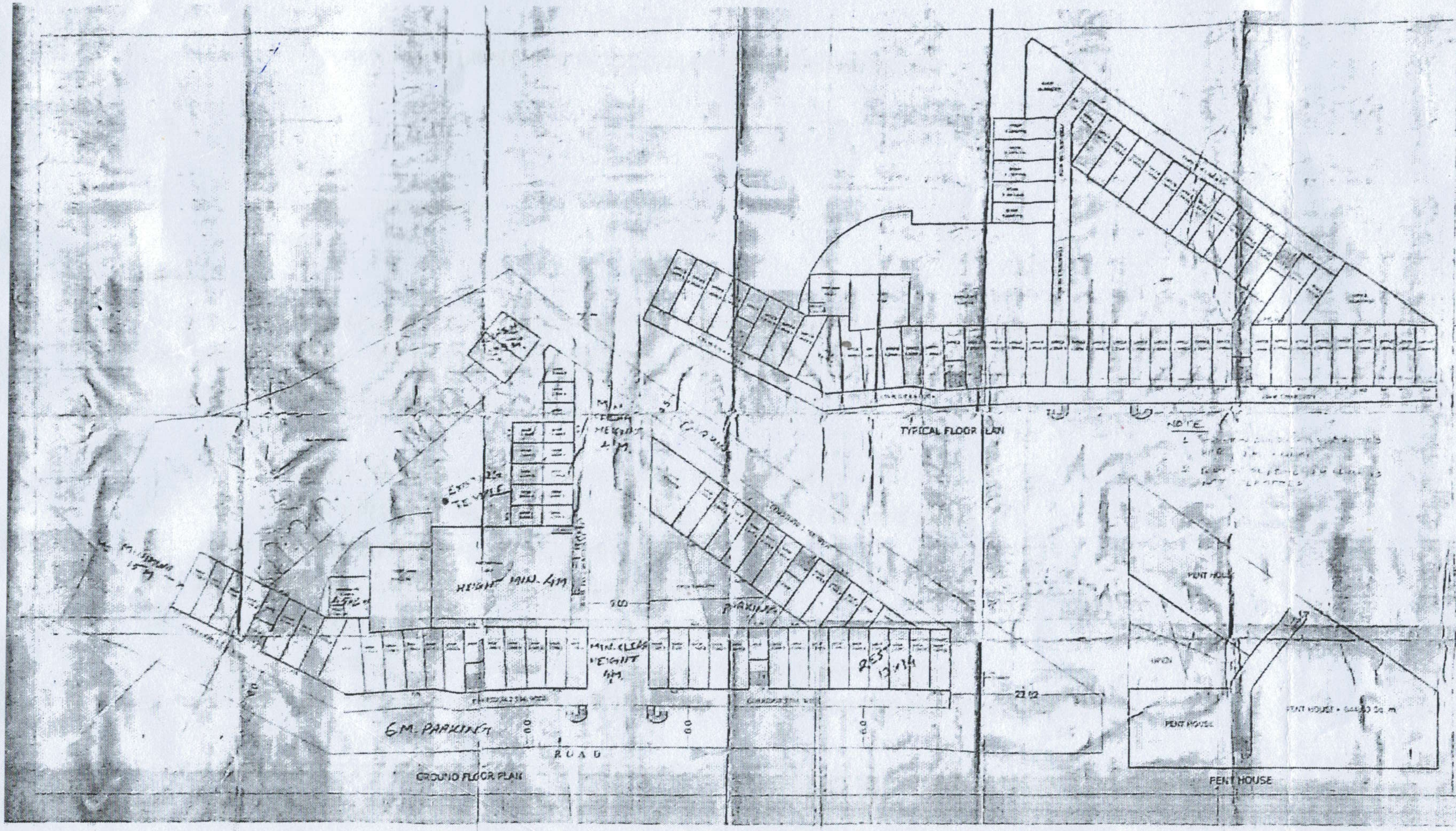

PROPOSED BUS STAND CUM COMMERICAL COMPLEX (CITY TERMINAR CENTER) SHEET NO. 55,56 PLOT NO.-9 MOHLLA- BUS STAND CHHINDWARA DISTT. CHHINDWARA (M.P.)

STATEMENT OF AREA

TOTAL LAND AREA = 7294.03 Sq. M.
GROUND COVERAGE = 2082.16 Sq. M.
BUILT UP AREA
GROUND FLOOR AREA = [illegible] Sq. M.
FIRST FLOOR AREA = 2133.77 Sq. M.
SECOND FLOOR AREA = 2133.72 Sq. M.
THIRD FLOOR AREA = 2133.72 Sq. M.
TOTAL BUILT UP AREA = [illegible] Sq. M.
F. A. R. = 1.15
PENT HOUSE = [illegible] Sq. M.

SCHEDULE OF OPENINGS

D1 = 1.20 X2.10 M. T.W. FULLY PANELLED DOOR
D2 = .90 X2.10 M.
D3 = .75X2.10 M.
W = 1.5X1.20 M.
W1 = 1.0 X1.20 M.
V = .60 X.60 M.
R/S = 2.80X2.10 M. ROLLING SHUTTER
CG = 4.00X2.40 COLLEPSIBLE GATE
FG = 5.0 X2.40 OPEN WITH GRILL
FG1 = 5.9 X2.40 OPEN WITH GRILL
D4 = 1.70 X2.10

SCALE 1:200

OWNER

Architect-Planner

अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग

Scanned with OKEN Scanner